

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर-208024
KALYANPUR, KANPUR-208024

संदर्भ : CSJMU/FO.CAMP/ Memo /2020

दिनांक : 28-01-2020

कार्यालय-ज्ञाप

कृपया अवगत हो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्त होने को है एवं माह फरवरी 2020 में सकल आय और उस पर देय आयकर का आंगणन, आयकर अधिनियम की धारा 192 A के अर्न्तगत कर स्रोत पर कटौती वित्त एवं आहरण अधिकारी द्वारा की जानी है।

अतः समस्त अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि आयकर की धारा 80 C तथा अन्य धाराओं में आयकर की छूट लेने हेतु किये गये निवेशों के सभी प्रमाणको तथा पेन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराकर दिनांक 15 फरवरी, 2020 से 21 फरवरी, 2020 तक अपनी आयकर देयता का आगणन कर लेखा व्यय विभाग में प्रस्तुत कर दे ताकि फरवरी, 2020 का वेतन समय से निर्गत किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में देय कर स्वतः काट लिया जायेगा।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार तिवारी)

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-समस्त प्रभारी/विभागाध्यक्ष, सी0एस0जे0एम0यू0 कानपुर।
- 2-सिस्टम मैनेजर जी को, वि0वि0 की बेवसाइट पर सुसंगत ढंग से प्रदर्शित करने हेतु।
- 2-निजी सचिव, माननीय कुलपति जी को अवलोनार्थ हेतु प्रस्तुत।
- 2-वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव जी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

(धीरेन्द्र कुमार तिवारी)